

UPBJ240020662021



न्यायालय सिविल जज (जू0डि0)/जे0एम0, नजीबाबाद जनपद बिजनौर

फौ0 वाद सं0— 1406 / 2021

सरकार

बनाम

अभिषेक त्यागी आदि

मु0अ0सं0— 195 / 2021

थाना— नजीबाबाद, जनपद बिजनौर।

आरोप

मैं, अखिल कुमार निझावन, सिविल जज (जू0डि0)/जे0एम0, नजीबाबाद जनपद बिजनौर आप **अभिषेक त्यागी, यश अग्रवाल, तुषार कुमार एवं अचल कुमार** को निम्न आरोप से आरोपित करता हूँ—

यह कि दिनांक 17-04-2021 को समय करीब 23-20 बजे स्थान ग्राम पदारथपुर जाने वाले रास्ते पर गन्ना क्लेशर के पास, सीमान्तगत थाना नजीबाबाद, जिला बिजनौर में आप लोग पुलिस द्वारा पकड़े गये और आप लोगों के कब्जे से 225 पच्चे अंग्रेजी शराब के (90 पच्चे 180 एमएल एम.सी.डोवेल्स नं01 आरिजिनल, ऑफिसर्स च्वाइस ब्लू व्हिसकी 180 एम.एल के 45 पच्चे तथा 8पी.एम के 90 पच्चे 90 एमल सभी कांच के) बरामद हुए तथा आप लोगों से शराब रखने का लाईसेंस तलब करने पर आप लोग दिखाने से कासिर रहे। इस प्रकार आप लोगों ने ऐसा अपराध कारित किया, जो धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आप लोगों को आदेशित किया जाता है कि आप लोगों का विचारण उपरोक्त आरोप हेतु इस न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

दिनांक: 12-01-2022

(अखिल कुमार निझावन)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, नजीबाबाद
बिजनौर। यू.पी.03212

आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। आरोप से अभियुक्तगण ने इंकार किया और विचारण किये जाने की याचना की।

दिनांक: 12-01-2022

(अखिल कुमार निझावन)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, नजीबाबाद
बिजनौर। यू.पी.03212